

# माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

## प्रदान की जाने वाली सेवाएं

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	8 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक-बालिका को विद्यालय में प्रवेश दिलवाना
Drop out को रोकना	6 से 14 वर्ष के बालक-बालिका विद्यालय के प्रवेश के पश्चात् अगर पढ़ाई बीच में छोड़कर Drop out होते हैं तो उन्हें पुनः प्रवेश दिलवाना
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	6 से 14 वर्ष के प्रविष्ट बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना
विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन (SMC)	प्रतिवर्ष सत्र के प्रारम्भ में ही एस.एम.सी. का गठन निम्न प्रकार करना— अध्यक्ष—अभिभावक सचिव— विद्यालय का प्रधान अध्यापक सदस्य – 16, अभिभावकों में से
विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का गठन (SDMC)	प्रतिवर्ष सत्र के प्रारम्भ में ही एस.डी.एम.सी. का गठन निम्न प्रकार करना— ● अध्यक्ष— विद्यालय का प्रधान अध्यापक ● सचिव— विद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक ● सदस्य – 23 सदस्य, जो शिक्षकों एवं अभिभावकों में से होंगे
एस.एम.सी. / एस.डी.एम.सी की बैठक	प्रतिमाह एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी. की न्यूनतम एक बैठक आवश्यक
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जाती है ।
<b>मिड-डे मील (मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था)</b>	
● 1 से 5 कक्षा के छात्र –	100 ग्राम गेहूं/चावल प्रतिदिन, 2 कि.ग्रा. दाल एवं 1 कि.ग्रा. तेल प्रति 3 माह
● 6 से 8 कक्षा के छात्र –	150 ग्राम गेहूं /चावल प्रतिदिन, 5 कि.ग्रा. दाल एवं 1 कि.ग्रा. तेल प्रति 3 माह
विशेष आवश्यकता (CWSN) वाले बालक-बालिका के लिए विशेष सुविधाएं	● एस्कोर्ट भत्ता ● ट्रान्स्पोर्ट भत्ता ● अंग उपकरण उपलब्ध करवाना
<b>ट्रान्स्पोर्ट वाउचर योजना</b>	
● कक्षा 1 से 5— 1 कि.मी. से अधिक दूरी	10 रु प्रति विद्यालय दिवस
● कक्षा 6 से 8— 2 कि.मी. से अधिक दूरी	15 रु प्रति विद्यालय दिवस
● कक्षा 9 से 12—5 कि.मी. से अधिक दूरी	20 रु. प्रति विद्यालय दिवस
साईकिल वितरण	कक्षा 9 में अध्ययनरत वे समस्त बालिकाएं जिन्होंने ट्रान्स्पोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं लिया है, उनको साईकिल देय है ।
लैपटॉप	प्रतिवर्ष कक्षा 8, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम

	देने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया जाता है ।
इन्स्पायर्ड अवार्ड	कक्षा 6 से 10 में अध्ययन करने वाले सृजनात्मक मौलिक वैज्ञानिक विचार वाले बालक-बालिकाओं को अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 10,000रु. प्रोत्साहन राशि के रूप में व्ययवित्तक सहायता प्रदान की जाती है ।
मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना	कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत रहते हुए 15,000रु. प्रतिवर्ष एक मुश्त सहायता एवं 1.00 लाख रूपये छात्रावास एवं कोचिंग के बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है ।  स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत रहते हुए 25,000 रु. प्रतिवर्ष एक मुश्त सहायता एवं 2.00 लाख रूपये छात्रावास एवं कोचिंग के बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है ।
इन्द्राप्रियदर्शिनी अवार्ड	कक्षा 8, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को क्रमशः 40,000, 75,000, 1.00 लाख एवं स्कूटी प्रदान की जाती है ।
गार्गी पुरस्कार	कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययन करने वाली छात्रा को 3000रु. प्रतिवर्ष
छात्रवृत्ति- 1. एस.सी.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कक्षा 6 से 8 छात्र- छात्रा - 750रु., छात्रा - 1250 रु.</li> <li>● कक्षा 9 से 10 छात्र-छात्रा - 3000 रु.</li> <li>● कक्षा 11 से 12 छात्र-छात्रा - 2300 रु.</li> </ul>
2. एस.टी.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कक्षा 6 से 8 छात्र- छात्रा - 750रु., छात्रा - 1250 रु.</li> <li>● कक्षा 9 से 10 छात्र-छात्रा - 3000 रु.</li> <li>● कक्षा 11 से 12 छात्र-छात्रा - 2300 रु.</li> </ul>
3. ओ.बी.सी.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कक्षा 6 से 10 छात्र-छात्रा - 1000 रु.</li> <li>● कक्षा 11 से 12 छात्र-छात्रा - 1600 रु.</li> </ul>
4. एस.बी.सी.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कक्षा 6 से 8 छात्र- 500 रु., छात्रा -1000 रु.</li> <li>● कक्षा 9 से 10 छात्र-600 रु, छात्रा -1200 रु.</li> <li>● कक्षा 11 से 12 छात्र-छात्रा - 2300 रु.</li> </ul>
5. अल्पसंख्यक	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कक्षा 1 से 10 कक्षा के छात्र-छात्राओं को 5000रु. प्रतिवर्ष देय है ।</li> </ul>
<b>सेवा न मिलने पर सम्पर्कसूत्र</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>नियन्त्रक अधिकारी-</b> मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी श्री मोबाइल कार्या. दरूभाष नं.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● शिकायत होने पर : 181 टोलफ्री नं. पर कॉल करें, <a href="http://sampark.rajasthan.gov.in">sampark.rajasthan.gov.in</a> पर ऑनलाइन दर्ज करें</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● रिश्वत मांगने पर शिकायत (ACB): 1064 टोल फ्री पर कॉल करें: 9413502834 पर WhatsApp करें</li> </ul>	